

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
(समक्ष:-डी०सी०थपलियाल)

प्र०क्र० 68/13 वैवाहिक

दीपक श्रीवास्तव पुत्र रामप्रकाश श्रीवास्तव
उम्र 28 वर्ष जाति कायस्थ निवासी ग्राम सर्वा
परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०....आवेदक
बनाम

श्रीमती राधा पुत्री लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव
पत्नी दीपक श्रीवास्तव उम्र 27 वर्ष जाति
कायस्थ निवासी ग्राम सर्वा परगना गोहद
हाल निवासी काधनी काशीराम गरीबी आवास
योजना रायतपुरा कालौनी ब्लाक नं०-2 मकान
नंबर 19 इटावा उ०प्र०.....अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधि०
अनावेदिका पूर्व से एक पक्षीय ।

// निर्णय //

(आज दिनांक को घोषित किया गया)

1- आवेदक/याचिकाकर्ता की और से प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका अंतर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है । जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रतियाचिकाकर्ता के साथ सम्पन्न हुये विवाह दिनांक 16-4-08 को विघटित कर तलाक की डिक्री देने की याचना की गयी है ।

2- आवेदक/याचिकाकर्ता का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह प्रतियाचिकाकर्ता/अनावेदिका के साथ दिनांक 16-4-08 को हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था । अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी होने से अनावेदिका के द्वारा यह कहे जाने पर कि उसे आंखों से कम दिखाई देता रहा है उसे इलाज कराने के लिये ग्वालियर ले जाने के लिये कहा तो उसने कहा कि इटावा में अच्छा इलाज होता है । वह अपना इलाज अब इटावा में करायेगी उसके पिता को फोन कर दो । अनावेदिका ने अपने पिता को फोन

करके बुला लिया उसके पिता दिनांक 18-6-11 को ग्राम सर्वा आ गये उसे ग्वालियर इलाज कराने के लिये कहा किन्तु उसने ग्वालियर जाने से मना कर दिया और यह कहा कि इटावा इलाज कराने हेतु जाने की व्यवस्था कर दो उसके इलाज हेतु पांच हजार रुपये दिये और वह अपने जेवर लेकर दिनांक 18-6-11 को ग्राम सर्वा से अपने मायके इटावा चली गई । अनावेदिका अपने पिता के साथ घर से चले जाने के बाद उसकी तबियत के संबंध में फोन से जानकारी चाही तो उसने बताया कि तबियत ठीक है उसके बाद दिनांक 5-7-11 को फिर फोन किया तब इटावा से उसके घरवालों ने जानकारी दी कि अनावेदिका घर से गायब हो गई है । इस संबंध में जानकारी लेने पर यह पता चला कि थाना इटावा में उसकी गुमशुदी रिपोर्ट दर्ज है । आवेदक ने अपने स्तर से अनावेदिका की तलाश की किन्तु वह ग्राम सर्वा नहीं आई अनावेदिका के गुम होने के संबंध में एस0डी0ओ0 गोहद के यहां आवेदन दिया था किन्तु तीन माह बाद अनावेदिका अपने पिता के घर आ गई थी उसके घर वापिस आने की जानकारी मिलने पर दिनांक 5-5-12 को अपने पिता एवं रिश्तेदार के साथ इटावा गया था तो अनावेदिका और उसके पिता आवेदक से झगडा करने के लिये आमदा हो गये । अनावेदिका ने आवेदक के साथ आने से मना कर दिया । इसके उपरांत आवेदिका अनावेदिका को लेने कई बार गया दिनांक 14-1-13 को भी संक्रान्ति के दिन आवेदक अनावेदिका को लेने गया उसने आने से इंकार कर दिया और उसने यह कहा कि वह आवेदक के साथ पत्नी के रूप में नहीं रहेगी । अनावेदिका आवेदक की पत्नी के रूप में नहीं रहना चाहती है और पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है । न्यायालय के द्वारा धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना का आदेश भी दिनांक 16-9-13 को दिया गया । उक्त आदेश के उपरांत भी अनावेदिका के द्वारा पत्नी के रूप में रहकर पत्नी धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है । दिनांक 20-11-13 को आवेदक अनावेदिका के पास अपने पिता व रिश्तेदारों के साथ गया और उसे अपने साथ रहने के लिये समझाया तो अनावेदिका के पिता झगडा करने के लिय आमदा हो गये और यह कहा कि अनावेदिका पत्नी के रूप में आवेदक के साथ नहीं रहेगी । इस प्रकार अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ कूरता का व्यवहार किया जा रहा है और आवेदक के साथ वह नहीं रह रही है । स्वेच्छया से वह गायब हो गई थी अनावेदिका के उक्त व्यवहार के कारण तथा दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना न करने और पत्नी धर्म का पालन नहीं करने से आवेदक के प्रति कूरता की जा रही है जिस कारण आवेदिका अनावेदक से विवाह विच्छेद की डिक्री पाने के अधिकारी है । ऐसी दशा में आवेदनपत्र स्वीकार करते हुये आवेदक के साथ हुये विवाह को विच्छेद किये जाने का निवेदन किया ।

3- अनावेदिका को भेजा गया रजिस्टर्ड नोटिस उसका कोई पता नहीं चलने की टीप के

साथ वापिस प्राप्त हुआ तत्पश्चात् दैनिक समाचारपत्र के माध्यम से उपस्थित होने बावत सूचनापत्र प्रकाशित किया गया । सूचना पत्र प्रकाशन के उपरांत भी अनावेदिका न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई जिस कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

4- आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि:-

1- क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक के प्रति क्रूरता का व्यवहार किया गया?

2- क्या आवेदक अनावेदिका से हुये विवाह विच्छेद कराने की अधिकारी है?

::- निष्कर्ष के आधार:-:

5- आवेदकपक्ष की ओर से आवेदक दीपक श्रीवास्तव आवेदक साक्षी क्रं01 का शपथपत्र उसके द्वारा किये गये अभिवचनों के समर्थन में पेश किया गया है । उक्त शपथपत्र के समर्थन में अन्य साक्षी गंभीरसिंह तोमर तथा साक्षी शंकरसिंह के शपथपत्र भी पेश किये गये हैं ।

6- आवेदक दीपक श्रीवास्तव के द्वारा अपने शपथपत्र में उसके द्वारा याचिका में किये गये अभिवचनों का समर्थन करते हुये यह बताया है कि अनावेदिका काफी प्रयास करने के उपरांत भी उसके साथ नहीं आ रही है कईबार उसे लेने के लिये गया इसके अतिरिक्त धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का दावा पेश किया गया था जिसमें कि न्यायालय के द्वारा दिनांक 9-6-11 को आदेश पारित करते हुये आवेदक को दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना कराने का आदेश दिया गया था किन्तु उसके उपरांत भी अनावेदिका आवेदक के साथ दाम्पत्य संबंधों की कोई स्थापना नहीं की । दिनांक 18-6-11 से आज तक वह आवेदक के साथ पत्नी के रूप में नहीं रही और उसके द्वारा दाम्पत्य संबंधों की कोई स्थापना नहीं की गई । इस संबंध में आवेदक के द्वारा प्रकरण क्रं0 16/13 वैवाहिक में पारित निर्णय दिनांक 17-9-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-1 तथा डिक्री की सत्य प्रति प्र0पी0-2 पेश की है ।

7- आवेदक दीपक श्रीवास्तव की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त शपथपत्र तथा उसमें किये गये अभिवचन प्रतिपरीक्षण के अभाव में पूर्णतः अखंडनीय रहे हैं उनमें किये गये अभिवचनों को असत्य या बनावटी मानने का भी कोई आधार नहीं है । आवेदक के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त शपथपत्र के अभिवचनों का समर्थन साक्षी गंभीरसिंह तोमर साक्षी क्रं0-2, शंकरसिंह साक्षी क्रं0-3 के कथनों से भी होता है जो कि उक्त दोनों ग्राम सर्वा के निवासी है जहां का कि आवेदक रहने वाला है । उक्त आवेदक साक्षीगण के कथन भी प्रतिपरीक्षण उपरांत अखंडनीय रहे हैं ।

8- इस प्रकार प्रकरण में आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जो कि अखंडनीय रहे हैं एवं जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण परीलक्षित नहीं होता है के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदक दिनांक 18-6-11 जो कि 3 वर्ष की अवधि से

आवेदक के यहां आकर या अन्य किसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं कर रही है उसे न्यायालय के द्वारा आदेशित किये जाने के उपरान्त भी अनावेदिका के द्वारा वैवाहिक संबंधों की पुर्नस्थापना नहीं की गई । इस प्रकार अनावेदिका के द्वारा आवेदक के प्रति कूरता का व्यवहार किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित होना पाया जाता है ।

9- अतः आवेदक की और से प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है :-

(क) अनावेदिका के साथ आवेदक का विवाह दिनांक 16-4-08 विघटित किये जाने का आदेश दिया जाता है । तदनुसार अनावेदिका एवं आवेदक के मध्य वैवाहिक संबंध नहीं रहें तथा आवेदक वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

(ख) आवेदक अपना वाद व्यय स्वयं बहन करेगा ।

(ग) अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर प्रमाणपत्र अनुसार या सूची अनुसार जो भी कम हो लगाया जाये ।

तदनुसार जयपत्र की रचना की जाये

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड